



2351

दूरभाष - 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक नगर, लखनऊ 220001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

पत्रांक : 1737 / 05 / 76 / एक / 2015-16
सेवा में

दिनांक : 28 जुलाई 2015

जिलाविकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-झांसी।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015-16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (झूला) को अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मिलिन वसितियों में स्थीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मिलिन वसितियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या-37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अयमुक्त कर दी गई है:-

धनराशि का प्रेषण (लाख रु 0 में)			
देंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
देंक आफ बढ़ौदा	29560100008794	IPSC Code BARBOSIPRIB	24.339
(धनराशि लाख रु 0 में)			

क्र० सं०	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मिलिन	निकाय का नाम	वस्ती/वार्ड का नाम	द्वितीय किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	झांसी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा०३० चिरगांव	झांसी के वार्ड सं० ६० में टिलू नना के माकन से अनीस के मकान तक, कालका खटिक के मकान से बन्टी सेलिया के मकान तक तथा टोरिया पुरा में पूर्ण कुशवाहा वाली गली तथा दयाराम के मकान से देवकी नदन के मकान तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली निर्माण कार्य।	9.353
2	झांसी	अल्पसंख्यक-37 बजट	न०पा० टोडी	फतेहपुर गो० बड़ा गंज में देवी बड़ी गाता गन्दिर से गजीत खां के मकान, अली बक्शा लेखपाल के मकान तक, भोरे के मकान से छुट्टन खां के मकान, अनीस खां के मकान तक, मधुरा रोनी वाली गली, भगत के मकान से लखन के मकान तक, भगत के मकान से राराफ आटा चक्की होरे हुए अभिका के मकान तक पी०डब्लू०डी० राढ़क तक इण्टरलाकिंग सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य।	14.986
	योग				24.339

उपरोक्त अयमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मिलिन वसितियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की रथापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उ०प्र० सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुलूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य वसितियों तथा मिलिन वसितियों में री०री० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्थीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में राम्बनिया पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूखना राम्बनियत नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टैकअप न कर लिया जाये।
- 3- प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर राष्ट्रग स्तर से तकनीकी स्थीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।
- 4- अयमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य ओत्र से धनराशि रखीकृत नहीं की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में रामिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरुपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।



235(2)

दूरभाष - 2280709

2280710

नव घोटाला केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय वाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्थीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- प्रश्नगत परियोजनाओं में स्थीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय डस्ट्रिब्युशन के सुरक्षित प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।
- परिसम्पत्तियों के सूजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाय में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सूजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तादाशय की सहायता ले ली जाये।
- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015-16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा आवश्यक धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध बनायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/आवश्यक धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित व्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा। पत्र/आवश्यक धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निहित गद में व्यय की जायेगी।
- उक्त धनराशि दूड़ा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिवर्त्यों के अनुसार निहित गद में व्यय की जायेगी। एवं स्थीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कठीनी सम्बन्धी अनिवार्य विधिक अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्थीकृत की गई है। किसी अवमुक्त की जा रही धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही प्रकार का व्यवहार अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही प्रकार का व्यवहार अनुमन्य न होगा। उपरोक्त अधिकार कार्यों में यदि कार्य/धनराशि की दैरावति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध है। उक्त धनराशि के लिये वह सम्बन्धित अधिकारी रायुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी रायुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे। उक्त धनराशि के रायेक्ष नियमानुसार हितीय किलत में 20 प्रतिशत की धनराशि रोककर हीच धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के रायेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे ऐकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

महादीप्य,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तादैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अधिकारी अभियन्ता-रूडा
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक